अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) पर दिशानिर्देश जारी करता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत विशिष्ट प्रारूपों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम । ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबन्धन उपाय और पद्धतियाँ तैयार की हैं जिनमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रिया और प्रबन्धन सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक निरंतर आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है जो सामान्य व्यापार में जोखिम लेने की बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए व्यापक रूप से प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालनगत जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबन्धन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबन्धन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियाँ, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन (सतर्कता) समिति और सूचना सुरक्षा प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति भी गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। बैंक के महा प्रबंधक की श्रेणी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। विशेष रूप से उधार समर्थन सेवा विभाग और जोखिम प्रबंधन विभाग में मिड ऑफीस तथा सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक विभाग / शाखाएँ भी जोखिम प्रबंधन करते हैं और नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं। जोखिम को अधिक प्रभावी रूप से प्रबंधित करने का मूल दृष्टिकोण जोखिम को उसके आरंभ में नियंत्रित करने में ही निहित है।

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) को कार्यान्वित किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में तैयार रूपरेखा के अनुसार इसका अनुपालन किया गया है। बेसल II रूपरेखा तीन परस्पर पुनर्बलित स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित रूपरेखा का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करता है तो पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा स्तम्भ सुनिश्चित करता है कि अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों को संभालने के लिए बैंक के पास यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता ऑकलन पक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तैयार किया है ताकि दूसरे स्तंभ की जरूरतों को पूरा किया जा सके । इस नीति का उद्देश्य प्रथम स्तंभ के जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारणों से अधिक व ऊपर के उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करना है जो बैंक को उठाने पड़ सकते हैं और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करना है।

बैंक ने भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तनाव जांच संबंधी रूपरेखा तैयार की है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित सक्रिय उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है । फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है । सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए आइ एस सेक्यूरिटी और आइ एस ऑडिट विभाग की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है । प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है । नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है ।

बैंक बेसल II रूपरेखा के तहत विचाराधीन उन्नत दृष्टिकोणों पर स्थानान्तरण हेतु अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के उन्नयन तथा विपणन जोखिम पूँजी परिकलन हेतु स्वचालित समधान संस्थापित करने की प्रक्रिया में लगा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न आवृत्तियों पर घरेलू परिचालनों और विशेषत: विदेशी परिचालनों सहित समेकित बैंक परिचालनों का प्रस्तुतीकरण और आयोजन को कवर करते हैं। इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में बैंक ने प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को शुरु किया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक इनका अनुपालन करेगा ।

बेसल II रूपरेखा का तीसरा स्तम्भ बाजार पर नियंत्रण से संबंधित है। बाजार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी संरचना

ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India, Mumbai issues guidelines on Basel II Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, Operational Risk Management (Vigilance) Committee for managing fraud risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convenor for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments / branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination.

The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan is in place. The 3 way DR for Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from alternate service providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. IS Security and IS audit departments have been established to monitor and analyse the information security incidents so as to take corrective steps. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, Vulnerability Analysis and Penetration testing has been conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework and installing automated solutions for Market Risk Capital computation.

The Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in place in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Further, the Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank shall comply with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) Scope of Application (DF-1), (b) Capital

(डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5) (6) उधार जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क) जिस समूह पर रूपरेखा लागू होती है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।
ख) समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है)	लागू नहीं।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
ग) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं।
घ) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरेस्ट का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पॉवर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी परमात्रात्मक प्रभाव लागू नहीं	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. जैसे बीमा जेवी में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु. 66.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% बताता है।

तालिका डीएफ-2

पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क) सभी पूंजी लिखतों की विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में	बैंक पर लागू है चूंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(`.In Crore)
ख. निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	
• प्रदत्त शेयर पूंजी	`. 12088.45
• आरक्षितियां	`. 924.10
• नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	`. 10663.53
• अन्य पूंजी लिखतें	`. 780.00
• टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	(वर्ष के दौरान लिए गए - शून्य) शून्य
ग. टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	`. 279.18
घ. उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	`. 6277.58
• कुल बकाया रकम	
• जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	`. 2632.30
• पूंजी निधियों के रूप में माने जाने के लिए पात्र रकम	शून्य
ड.. निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण	`. 2632.30 crore
• कुल बकाया रकम	
• इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	`.3426.00
• पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम	शून्य `.2340.00
च. पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि हो	`. 259.17
छ. कुल पात्र पूंजी	`.18366.03

Structure (DF-2), (c) Capital Adequacy (DF-3), (d) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-4), (e) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (f) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (g) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (h) Market Risk in Trading Book (DF-8), (i) Operational Risk (DF-9), and (j) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Table DF –1

SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs.66.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital.

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time
Quantitative Disclosures	
	(`.In Crore)
b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	12088.45
• paid up share capital	924.10
• reserves	10663.53
• innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	780.00 (raised during the year – Nil)
• other capital instruments	Nil
• amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	279.18
c) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	6277.58
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
• Total amount outstanding	2632.30
• Of which amount raised during the current year	Nil
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	2632.30
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
• Total amount outstanding	3426.00
• Of which amount raised duri ng the current year	Nil
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	2340.00
f) Other deductions from capital, if any	259.17
g) Total eligible capital	18366.03

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बेसल I फ्रेमवर्क के समानांतर चालन जारी रखा है ।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) ,बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखे है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का हिसाब किया गया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बेंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। कृषि ऋण ,आभूषण ऋण , लघु ऋण , मियादी जमाओं के प्रति ऋण , स्टाफ ऋण आदि जैसे कुछ ऋणों के संबंध में ,जहाँ सभी खातों की प्रकृति एक सी होती है (या तो एक ही तरह से प्रतिभूत या एक ही अप्रतिभूत) वहाँ एक समेकित पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसके ज़रिए उधार जोखिम के लिए पूंजी की गणना हेतु प्रत्येक ऋण की समेकित स्थिति को आकलन में लिया जाता है और यह पूंजी के आकलन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना किया जाता है । अन्य सभी ऋणों के लिए उधार जोखिम पूंजी संगणन को या तो उधारकर्ता आधार पर या सुविधा के प्रकार के आधार पर पूरा किया जाता है जैसा कि भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों में वर्गीकरण सूचित किया गया है । इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है । बैंक के द्वार विधिवत अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कमी पर स्पष्टत: निर्धारित नीति अमल में लाई गई है । उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरआर के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि गणना की तारीख तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल I फ्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का 80% पर विवेक फ्लोर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 6% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों के प्रति बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 11.85% और 7.80% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंक के जोखिम ऐपेटाईट में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ तक भविष्यगत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पूँजी की पर्याप्तता की बात है, वहाँ बैंक कारोबार की भविष्यगत वृद्धि को ध्यान में लेते हुए पूँजीगत अपेक्षाओं का आवधिक मूल्यांकन करता है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अतिरिक्त सीआरएआर भविष्यगत गतिविधियों को पूरा करने के लिए बफर का काम करता है। साथ ही टायर I और टायर II पूंजी संघटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम भविष्यगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है। बैंक का प्रमुख शेयरधारक, भारत सरकार, पूँजी पर्याप्तता संवर्द्धन हेतु नई पूँजी प्रायोजित करता रहा है। भविष्य में,उर्पाजन के प्रतिधारण तथा बेसल III की अपेक्षाओं को पूरा करने के क्रम में बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर बाज़ार से नई पूँजी के निषेचन द्वारा बैंक पूँजी संवर्द्धन हेतु उचित कदम उठाएगा।

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through prescribed reporting formats.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Regional Office and Central Office of the bank. For some of the loan types such as Agriculture Loans, Jewel Loans, Small loans, Loans against Term deposits, staff loans etc where all the accounts are of similar nature (either similarly secured or similarly unsecured) a consolidated approach is used whereby the aggregated position for each type of loan is taken for computation of capital for credit risk, without affecting the quality of the capital assessment. In all other loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document. RBI has also prescribed Prudential Floor at **80%** of minimum capital requirements computed as per Basel-I Framework for Credit and Market risks as on date of computation. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 6%. The bank maintains total CRAR and Tier-1 CRAR **at 11.85% and 7.80%** respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

टेबल डी एफ - 3

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	**12412.54**
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	**0**
कुल	**12412.54**
ग.बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	**493.39**
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	**4.75**
ईक्विटी जोखिम	**229.89**
कुल	**728.03**
घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: **मूल संकेतक दृष्टिकोण**	
परिचालनगत जोखिम	**810.88**
ड.. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात	
कुल सीआरए आर	11.85%
कुल सीआरए आर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	11.85%
टायर 1 सीआरए आर	7.80%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काऊंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

इस प्रक्रिया को और भी अधिक कवरेज देने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक ने अतिरिक्त रेटिंग सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया है, जो भविष्य में बेसल II रूपरेखा के उन्नत दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने में बैंक की सहायता करेगा।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम विषयक यह आँकडें बाजार की परिस्थितियों के आधार पर नियमति रूप से अद्यतन किये जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरणकिया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों को नए प्रस्ताव / वृद्धि के लिए संस्तुति करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और अन्य प्रधान कार्यालयों के अधिकारियों को विशिष्ट मंजूरी अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं । बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त, बैंक ने तीन समितियों का गठन किया है, जैसे -(क) चेयरमैन की अध्यक्षता में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) (ख) कार्यपालक निदेशकों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसीईडी)और (ग) वरिष्ठतम महा प्रबंधक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसीजीएम),विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अन्तर्गत ऋण प्रस्तावों के स्वीकार पर विचार करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ । इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर उधार समिति (आरएलसीसी) का उधार प्रस्तावों की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रत्यायोजित शक्ति के साथ गठन किया गया है । परिणामत: शाखा प्रमुख के अलावा किसी भी कार्यपालक को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने का विवेकाधिकार नहीं है ।

बैंक द्वारा शुरू किए गए नए उत्पादों का परीक्षण प्रधान कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति नए उत्पाद / प्रक्रिया में शामिल जोखिम प्रकार के आधार पर आर एम सी बी / बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाता है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित **सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है**। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम

Table DF – 3

Quantitative Disclosures (`. in Crore)

b) Capital requirements for credit risk:	
Standardised Approach	
Portfolios subject to standardised approach	**12412.54**
Securitisation exposures	**0**
Total	**12412.54**
c) Capital requirements for market risk:	
Standardised Duration Approach	
Interest rate risk	**493.39**
Foreign Exchange risk (including gold)	**4.75**
Equity risk	**229.89**
Total	**728.03**
d) Capital requirements for operational risk	
Basic indicator approach	
Operational Risk	**810.88**
e) Total Capital Ratio for the Bank	
Total CRAR	11.85%
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	11.85%
Tier 1 CRAR	7.80%

Table DF-4

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative Disclosures

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

In order to widen the scope and coverage further, the bank upgraded the rating software, which would facilitate the bank to migrate towards advanced approaches of the Basel II framework in future.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project Risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by Chairman, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all regional offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.

The new products introduced by bank are examined by the head office level risk management committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिप होने को कम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना। विभाग खातों का दैनिक आधाार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतक करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है । इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

रु. 1करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यत: एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्दश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है ।

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं । यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं । यह अनिवार्यत: एक ऑफ साइट प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है । बैंक रु. 1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के कार्यशील पूँजी ऋणवाले खातों की विवरण आमंत्रित करके सतत निगरानी भी करना है ।

पुनर्संरचित खाते का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का समय समय पर पालन करता है ।

अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि गैर निधि	164366.48 36646.64
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि	गैर निधि
● देशीय	144894.44	19472.04
● विदेशी	33371.64	3275.00
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित	
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदात परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित	
ङ. एनपीए (सकल) की राशि		
● अवमानक	3812.73	
● संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	2684.62	
● हानि	110.61	
च. निवल एनपीए	4027 21	
छ. एनपीए अनुपात		
● और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.02%	
● निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.50%	
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल)		
● प्रारंभिक शेष	3920.07	
● जोड़	5600.61	
● घटाव	2912.72	
● अन्तिम शेष	6607.96	
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
● प्रारंभिक शेष	1923.40	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2198.82	
● बट्टे खाते में डाला गया	1657.71	
● अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	-	
● अन्तिम शेष	2464.51	
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	57.72	

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of Rs. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of Rs. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank. The bank also maintains surveillance on the accounts with working capital exposure of Rs.1.00 Cr and above by calling for Continuous Surveillance statements.

Classification of restructured accounts

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.

Classification of Non Performing Accounts

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(`. In Crore)

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	164366.48 36646.64
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	144894.44	19472.04
• Overseas	33371.64	3275.00
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	3812.73	
• Doubtful (D1, D2, D3)	2684.62	
• Loss	110.61	
f) Net NPAs	4027.21	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	4.02%	
• Net NPAs to net advances	2.50%	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	3920.07	
• Additions	5600.61	
• Reductions	2912.72	
• Closing balance	6607.96	
j) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	1923.40	
• Provisions made during the period	2198.82	
• Write off	1657.71	
• Write back of excess provisions	-	
• Closing balance	2464.51	
k) Amount of Non-Performing Investments	57.72	

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
त. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	17.39	
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़व		
● प्रारंभिक शेष	363.96	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	408.67	
● बट्टे खाते में डाला गया	0	
● आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	143.72	
● अन्तिम शेष	628.91	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(`. In Crore)

दिन 1	2-7 दि.	8-14दि.	15-28 दि.	29दि-3 म	3- 6 म	6म -1वर्ष	>1 से 3 वर्ष	>3 से 5 वर्ष	>5 वर्ष
6920.16	8005.28	4260.51	4942.22	20126.05	18275.95	32661.71	65501.05	22170.91	41804.49

देशी परिचालनों के लिए सकल आस्तियाँ कवर करता है।

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(`.In Crore)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	2579.88
खाद्य प्रसंस्करण	1486.42
चीनी	962.22
वनस्पति तेल और वनस्पति	678.73
चाय	38.54
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	318.25
सूती वस्त्र उद्योग	3453.59
जूट वस्त्र उद्योग	20.73
अन्य वस्त्र उद्योग	2986.20
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	371.88
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	551.96
कागज और कागज उत्पाद	1770.44
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं नाभिकीय ईधन	1378.86
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	2267.62
उनमें से उर्वरक	300.92
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	808.26
उनमें से अन्य	1158.44
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	960.09
ग्लास और ग्लासवेयर	141.46
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1407.64
लौह एवं स्टील	9936.59
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2193.59
सभी इन्जीनियरिंग	4501.18
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	437.66
वाहन , वाहन के भाग, परिवहन साधन	2832.63
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	995.04
निर्माण	2050.75
इन्फ्रास्ट्रक्चर	22340.71
उनमें से शक्ति	14462.78
उनमें से तार संचार	1306.65
उनमें से रोड और पोत	5336.28
अन्य उद्योग	509.43
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	625.06
एन बी एफ सी	5961.03
व्यापार	8266.82
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	82779.14
कुल	**164366.48**

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
l) Amount of provisions held for non-performing investments	17.39	
m) Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening Balance	363.96	
• Provisions made during the period	408.67	
• Write-off	0	
• Write-back of excess provisions	143.72	
• Closing Balance	628.91	

Residual contractual Maturity break down of Assets

(`. In Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
6920.16	8005.28	4260.51	4942.22	20126.05	18275.95	32661.71	65501.05	22170.91	41804.49

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(`.In Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and Quarrying	2579.88
Food Processing	1486.42
Sugar	962.22
Edible Oils and Vanaspati	678.73
Tea	38.54
Beverage & Tobacco	318.25
Cotton Textiles	3453.59
Jute Textiles	20.73
Other Textiles	2986.20
Leather and Leather Products	371.88
Wood and Wood products	551.96
Paper and Paper Products	1770.44
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1378.86
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2267.62
Of which Fertilisers	300.92
Of which Drugs and Pharmaceuticals	808.26
Of which Others	1158.44
Rubber, Plastic and their Products	960.09
Glass and Glassware	141.46
Cement and Cement Products	1407.64
Iron and Steel	9936.59
Other Metal and Metal Products	2193.59
All Engineering	4501.18
Of which Electronics	437.66
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	2832.63
Gems and Jewellery	995.04
Construction	2050.75
Infrastructure	22340.71
Of which Power	14462.78
Of which Telecommunications	1306.65
Of which Roads & Ports	5336.28
Other Industries	509.43
Computer Software	625.06
NBFCs	5961.03
Trade	8266.82
Residual Advances to Balance Gross Advances	82779.14
TOTAL	**164366.48**

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एन सी ए एफ) को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने में छोटे मूल्य क ऋणों को समेकित आधार पर हिसाब में लिया जाता है । जहाँ ऋण पूर्णत: प्रतिभूत होते हैं जैसे आभूषण ऋण , मियादी जमा/ अनुमोदित बीमा पॉलिसी आदि के प्रति ऋण । ये ऋण उपलब्ध उधार जोखिम शमन उपायों (सी आर एम) के प्रति पूर्णत: नेटेड हैं क्योंकि उच्च मार्जिन प्रावधान के कारण लागू हेयर कट प्रयोग करने के पश्चात ऋण से अधिक शमन है । इसी प्रकार पूर्णत: अप्रतिभूत ऋणों के मामले में जैसे कृषि ऋण , लघु ऋण , उपभोक्ता ऋण , स्टॉफ ऋण आदि पूँजी की गणना पूरे ऋण पर की जाती है जैसा कि संबंधित वर्ग / वर्गीकरण में लागू है । इन ऋणों का पूरा ब्यौरा जहाँ समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है, प्रत्येक खाते के लिए सी बी एस प्रणाली में उपलब्ध है और सिर्फ पूँजी की गणना के लिए ही समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है क्योकिं इन खातों को व्यक्तिगत या साथ साथ लेने पर प्रभाव समान ही रहता है ।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छ: देशीय ईसीआरए जैसे क. उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि. और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है ।उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता हैं । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है ।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में , प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता । तदनुसार बैंक ने, 31-03-2013 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें कुछ समय लग सकता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	105911.09	14506.07	91405.03
100% जोखिम भार	90538.57	14498.49	76040.08
100% जोखिम भार से अधिक	15682.94	4778.16	10904.78
घटाएँ	0	0	0
कुल	**212132.60**	**33782.72**	**178349.89**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	20533.95	338.17	20195.78
100% जोखिम भार	4276.48	0	4276.48
100% जोखिम भार से अधिक	0	0	0
घटाएँ	0	0	0
कुल	**24810.43**	**338.17**	**24472.26**

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, small value exposures are captured on a consolidated basis. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription. Similarly, in case of fully unsecured loans such as Agriculture Loans, Small loans, consumer loans, staff loans etc the capital computation is done on the entire exposure as applicable to relevant segment/classification. Full details of these loans where consolidated approach is adopted are available in the CBS system for each account and only for capital computation the consolidated approach is adopted as the effect is same when these accounts are taken individually or together.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of **six** domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.3.2013 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(`. In Crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	105911.09	14506.07	91405.03
100% risk weight	90538.57	14498.49	76040.08
More than 100% risk weight	15682.94	4778.16	10904.78
Deducted	0	0	0
TOTAL	**212132.60**	**33782.72**	**178349.89**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	20533.95	338.17	20195.78
100% risk weight	4276.48	0	4276.48
More than 100% risk weight	0	0	0
Deducted	0	0	0
TOTAL	**24810.43**	**338.17**	**24472.26**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है

ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो । बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढ़ंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के मुताबिक) च) कारपोरेट गारंटी (एए - या उससे बेहत्तर) (बाहरी रेटिंग के अनुसार) ।

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपर्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(` करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	265683.17
देशी संप्रभुता	59310.03
विदेशी संप्रभुता	1174.14
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	12995.86
बैंकों की अनुसूची(आइ एन आर)	14592.86
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	5103.67
कार्पोरेट	95228.35
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	37748.32
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	4838.81
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	6056.26
उपभोक्ता ऋण	7646.11
पूँजी बाजार एक्सपोज़र	801.26
एन बी एफ सी	3037.42
जोखिम पूंजी	121.71
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	48.63
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	5183.97
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	929.00
अन्य आस्तियाँ	4382.13
पुनर्संरचित खाते	6484.66

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and Debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(`. In Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	265683.17
Domestic Sovereign	59310.03
Foreign Sovereign	1174.14
Public Sector Entities	12995.86
Banks – Schedule (INR)	14592.86
Foreign Bank claims in FCY	5103.67
Corporates	95228.35
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	37748.32
Claims secured by Residential Property	4838.81
Claims secured by Commercial Real Estate	6056.26
Consumer Credit	7646.11
Capital Market Exposure	801.26
NBFC	3037.42
Venture Capital	121.71
Non Performing Assets – a) Housing Loan	48.63
Non Performing Assets – b) Others	5183.97
Other Assets – Staff Loans	929.00
Other Assets	4382.13
Restructured Accounts	6484.66

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (` करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	12414.01
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	4708.97
कार्पोरेट	6013.32
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	1676.07
पुनर्संरचित	10.65
पूँजी बाजार ऋण	4.99

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा • प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है। • प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम) • अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर , निवेशक , सेवा प्रदाता , ऋण बढ़तरी प्रदाता , लिक्विडिटी प्रदाता , स्वैप प्रदाता @ प्रतिरक्षा प्रदाता #) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक • प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।) • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार • क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है • प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित); रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन • पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव • बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।
ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।	
बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल ऋण ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड , हाउसिंग ऋण , ऑटो ऋण , आदि)द्वारा काट दिया गया हो च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम छ) च) प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम ज) एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैंलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूँजी प्रभार , एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए *टियर I से पूर्णत: काटे गए एक्सपोजर कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ	लागू नहीं

Quantitative Disclosures (`. In Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	12414.01
Public Sector Entities	4708.97
Corporates	6013.32
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1676.07
Restructured	10.65
Capital Market Exposure	4.99

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of: • The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. • The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets • The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; • A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009); • A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;	No securitisation for the year ended 31.03.2013
b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including : • Whether the transactions are treated as sales or financings; • Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased. • Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; • Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets;	
c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	

Quantitative Disclosures in Banking Book d) Total amount of exposures securitised by the bank. e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security) f) Amount of assets intended to be securitized within a year. g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization. h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type. i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type. j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach. * Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).	Not applicable

प्रमात्रात्मक प्रकटन : ट्रेडिंग बही

ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा, जिसके लिए बैंक ने एक्सपोज़र रखा था और जो एक्सपोज़र प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है ।

ठ) **निम्नलिखित की समग्र मात्रा :**

- रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो और
- ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो ।

ड) **निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकरण** एक्सपोज़र **की समग्र मात्रा :**

- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।

ढ) **निम्नलिखित की समग्र मात्रा :**

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूँजी अपेक्षा , जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।
- टियर I पूँजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर , कुल पूँजी से काटे गए आइ / ओ उधार बधेतरी और अन्य कुल पूँजी (एक्सपोज़र प्रकार द्वारा)से काटे गए अन्य एक्सपोज़र

तालिका डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभवी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश लेषण के जरिए किया जाता है ।

विगत वर्षो में ,संरचनात्मक लिक्विडिटी विवरण के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम देशी परिचालन हेतु भा.रि बैंक को रिपोर्ट किया गया , जबकि प्रत्येक विदेशी केन्द्र पर इसे अलग से प्रबंधित किया गया तथा नियंत्रण हेतु ऑल्को को प्रस्तुत किया गया । हालांकि, मार्च 2013 से भा.रि.बैंक के हाल के परिपत्रों के अनुसार लिक्विडिटी जोखिम को परिकलित किया जाना है और रुपये में तथा भा.रि.बैंक को देशी परिचालनों,विदेशी केंद्रों के लिए विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत किया जाना है एवं विभिन्न आवृत्तियों पर बैंक परिचालन हेतु समेकित किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है । बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए वैश्विक परिचालनों हेतु प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बैंक समय-समय पर देशी परिचालनों हेतु जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा वैश्विक परिचालन हेतु ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है । 31.03.2012 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

Quantitative Disclosure: Trading Book	
k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.	
l) Aggregate amount of: • On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and • Off-balance sheet securitiesation exposures broken down by exposure type.	
m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for: • Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and • Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	
n) Aggregate amount of: the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	

Table DF – 8

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress Testing Policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per recent RBI circular from March 2013 onwards the liquidity risk is to be computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed for global operations. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2013 in trading book of the bank is as under:

(` करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5482.10	493.39
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2554.32	229.89
विदेशी विनिमय जोखिम	52.81	4.75
कुल	**8089.23**	**728.03**

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम : परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं, इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोतीकरण पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढ़ंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृध व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। बैंक के पास कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम ^m[aV आस्ति
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्ष के दौरान सकारात्मक औसत वार्षिक सकल आय का 15%	810.88	9009.78

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित

(`. In Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	5482.10	493.39
Equity position risk	2554.32	229.89
Foreign exchange risk	52.81	4.75
TOTAL	**8089.23**	**728.03**

Table DF – 9

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational Risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and Disaster Recovery Plan (IT_BC-DRP) (e) Compliance Policy and (f) Policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative Disclosures

(`. In Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	810.88	9009.78

Table DF –10

Interest rate risk on the Banking Book

Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock up to 100bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate

रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी , कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है । जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है । गैर परिपक्व जमाओं के मामले में ,ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल एस)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है ।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ,तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों कें अंदर प्रस्तुत की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2013 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(` करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2013	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	150.48 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	115.94	77.93
0.50% परिवर्तन	300.96 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	231.88	155.87
0.75% परिवर्तन	451.44 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	347.82	233.80
1.00% परिवर्तन	601.92 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	463.76	311.74

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2013
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)	0.0481%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी का बाजार मूल्य (एम वी ई)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	1.8229%

Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII)

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duraton is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies for a period of three years as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. . The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

(b) The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2013 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(`. In Crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2013	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	150.48 (3% of NII of previous year)	115.94	77.93
0.50% change	300.96 (6% of NII of previous year)	231.88	155.87
0.75% change	451.44 (9% of NII of previous year)	347.82	233.80
1.00% change	601.92 (12% of NII of previous year)	463.76	311.74

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**31.03.2013**
Modified Duration Gap (DGAP)	0.0481%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	1.8229%